फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री चन्द्रप्रकाश सियाल — **विपक्षी : श्री सिराज मोहम्मद**

किस्म मुकदमा – 188 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 239 / 24**

जीसीएमएस : 2024 / 551

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 03.04.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा अवगत कराया की वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में तरमीम शुद्धि का प्रकरण विचाराधीन है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में तरमीम शुद्धि का प्रकरण विचाराधीन है। तरमीम के प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सीमा का निर्धारण किया जाना है। तरमीम शुद्धि का प्रकरण निस्तारण नही हो जाता है तब तक पड़ौसी खातेदारो के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। क्योंकि जब तक वादग्रस्त भूमि का सीमा निर्धारण नही हो जाता है तब तक यह तय नही किया जा सकता है किस खातेदार की भूमि कहां तक है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर इस प्रकरण को जारी रखने का कोई औचित्य नही है। तरमीम शुद्धि के प्रकरण का निस्तारण होने के पश्चात विपक्षीगण द्वारा वादी की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वादी नया वाद लाने के लिए स्वतंत्र है। अतः वाद वादी इस स्तर पर ड्रोप किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:46:27 IST
Reason: SelfAttested